



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP01144747280836V


RAJVEER SINGH
Stamp Vendor
Licence No. 160
E-Stamping ACC ID UP/14151504
Tehsil Sadar, Agra

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP01144747280836V
Certificate Issued Date	: 29-Aug-2023 05:13 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14151504/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1415150407865071797090V
Purchased by	: SHRI SHYAMA SHYAM HERITABLE TRUST
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	: .
First Party	: SHRI SHYAMA SHYAM HERITABLE TRUST
Second Party	: SACHIV PRAVIDHIK SHIKSHA PARISHAD UP LUCKNOW AGRA
Stamp Duty Paid By	: SHRI SHYAMA SHYAM HERITABLE TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

₹100

₹100710071007100



₹100



IN-UP01144747280836V



Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.eStamping.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on the Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The trust of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शपथ - पत्र (प्रारूप अ)

हम श्रीमती सावित्री देवी एवं श्रीमती सुनीता देवी क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री श्यामा श्याम चैरिटेबिल ट्रस्ट, 101 जे.आर. सिल्वर एस्टेट सिकंदरा आगरा।

शपथपूर्वक निम्नवत ब्यान करते है:-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा श्यामा श्याम इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स एण्ड रिसर्च, गामरी मलपुरा आगरा नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम ग्राम गामरी तहसील सदर आगरा में गाटा संख्या 27,28,29,30,31,52मि0, 54 एवं 55 रकबा क्रमशः 0.2600, 0.2600, 0.2890, 0.0500, 0.9680, 0.6830, 0.3330 एवं 0.3320 हेक्टेयर (कुल रकबा 3.1750 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई वाद भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 52मि0, 54 एवं 55 रकबा क्रमशः 0.3415, 0.03330 एवं 0.3320 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.0065 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 12.11.2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनो को निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनो पर फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

सावित्री देवी

सुनीता

28
Explained To
Filed By
With Reference to
Dated 02-08-2023
28-08-2023
28

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनो में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमो के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/ सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई.टी.आई. आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओ एवं कार्यशालाओ आदि को फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/आदेशो का भली- भाँति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान मे किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी मे पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव

सुनीता

ह० अध्यक्ष

सावित्री देवी

